19.07.18	**राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** पीठासीन अधिकारी :– श्री जे0एन0मथुरिया(आर0ए0एस0) आर.सी.एम.एस 2016/00418 अपील संख्या 89/2016 (223 आर.टी.एक्ट) उनवानः–मानसिंह बनाम ननुआ	
	वकुलाय उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि निर्णय की दिनांक को प्रकरण कायम तनकीयात नियत था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को कैम्प में ले जाकर ग्रामवासियों के मौखिक कथनों पर विश्वास करते हुये वादी अपीलार्थी का दावा खारिज कर दिया जबकि अपीलार्थी विवादित आराजी का काबिज खातेदार था। बचाव में वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी ने कैम्प में विवादित आराजी चालू रास्ता होना स्वीकार किया है और लोक अदालत का निर्णय अपील योग्य नहीं हैं। अतः अपील खारिज की जावें। बहस उभयपक्ष एवं रिकार्ड से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक प्रकिया पूर्ण नहीं हुयी है और ना ही अपीलार्थी ने अपनी सहमति प्रदान की है ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कायम रखे जाने योग्य प्रतीत नहीं होता हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाता हैं। एवं पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद कायम तनकीयात साक्ष्य सबूत के आधार पर तनकी बार निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उभयपक्ष दिनांक 20.8.18 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।	